"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जून 2019 — ज्येष्ठ 29, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–8/2011/18.– छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 292–क, 292–ख, 292–ग, 292–च, 292–झ तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 सहपठित धारा 339–क, 339–ख, 339–ग, 339–च, 339–झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (च) में, उप–खण्ड (सोलह) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(सोलह–क) कालोनी के चारों ओर तथा आंतरिक मार्गों के दोनों ओर ऐसी प्रजाति के छायादार वृक्ष, जिनकी ऊंचाई न्यूनतम दस फीट हो तथा मोटाई पंद्रह सेन्टीमीटर से कम न हो, के पौधे रोपे जायें तथा वृक्ष–गार्ड स्थापित किये जायें और रोपे जाने वाले पौधों की संख्या, कालोनी के कुल क्षेत्रफल के अनुसार, प्रति हेक्टेयर न्यूनतम पचास वृक्ष की दर से संगणित की जाये;"

2. नियम 8 में, उप–नियम (2) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"स. क्र.	क्षेत्रफल	कॉलोनी के विकास के लिये अनुमति हेतु शुल्क
(क)	तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम	रूपये एक लाख प्रति हेक्टेयर
(ख)	तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम	रूपये पचास हजार प्रति हेक्टेयर
(ग)	नगरपालिका परिषद्	रूपये बीस हजार
(घ)	नगर पंचायत	रूपये दस हजार"

3. नियम 10 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (ग) में, शब्द "दो किलोमीटर" के स्थान पर, शब्द "तीन किलोमीटर" प्रतिस्थापित किया जाये।

4. नियम 11 में, खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(सात) कॉलोनाईजर द्वारा अनिवार्य रूप से निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये:–

(क) पूर्णता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अथवा पचास प्रतिशत आवासीय इकाईयों के विक्रय हो जाने पर, जो भी पहले हो, रहवासी कल्याण संघ का गठन करना होगा;

(ख) रहवासी कल्याण संघ का गठन होने के ऐसे समय तक कालोनी के रख–रखाव का दायित्व कॉलोनाईजर का होगा;

(ग) कॉलोनाईजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के अपशिष्ट जिसमें शामिल है किन्तु जो इन तक सीमित नहीं है, यथा ठोस अपशिष्ट, निर्माण तथा तोड़फोड़ अपशिष्ट, संकटमय अपशिष्ट आदि से संबंधित सभी सुसंगत नियम तथा उप–विधि का पूर्ण पालन हो तथा वह नगरपालिका द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।"

5. नियम 11 में, खण्ड (आठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(आठ) कॉलोनी के विकास कार्य की पूर्णता की सूचना सक्षम प्राधिकारी को कॉलोनाइजर द्वारा दी जायेगी, सूचना प्राप्त होने पर कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, कालोनी के विकास कार्यों के निरीक्षण के पश्चात् यदि विकास कार्यों को पूर्ण पाया जाता है, पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।"

6. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"14. नियम 11 के अनुपालन न करने का प्रभाव.– यदि नियम 11 के अधीन अनुमति प्राप्त होने के पूर्व, कोई कॉलोनाईजर कालोनी का विकास कार्य प्रारंभ करता है या भू–खण्डों का विक्रय करता है या भू–खण्डों को विक्रय करने के लिये तैयार करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी ऐसे कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और ऐसी विधिक कार्यवाही कर सकेगा जो कि वह विधि के अधीन करने का विनिश्चय करे जिसमें शामिल होगा किन्तु इन तक सीमित नहीं होगा यथा नियम 11 के खण्ड (एक) के अधीन बंधक रखे गये संपत्ति का प्रवर्तन, नियम 11 के खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन जमा की गई राशियों का समपहरण तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 420 तथा/या अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन एफआईआर दर्ज करना :

"परंतु यह कि पंजीयन रदद् किये जाने या कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व, कॉलोनाईज़र को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा :

परंतु यह और भी कि पंजीयन रदद् किये जाने तथा/या किसी विधि के अधीन कोई कार्यवाही किये जाने के कारणों को लिखित में दर्ज किये जायेंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2019

क्रमांक एफ 7–8/2011/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7–8/2011/18 दिनांक 19–06–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 19th June 2019

NOTIFICATION

NO. F 7-8/2011/18 .– In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B, 292-C, 292-F, 292-I of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Sections 355 and 356 read with Sections 339-A, 339-B, 339-C, 339-F, 339-I of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, in sub-rule (1), in clause (f), after sub-clause (xvi), the following shall be added, namely:-

"(xvi-a) On all four sides of the colony and along both sides of the internal roads, shady-tree saplings of such species as attain a minimum height of ten feet, and girth not less than fifteen centimetres, must be planted and tree-guards duly fixed, and the number of trees to be raised shall be computed according to the total area of the colony at the rate of minimum fifty trees per hectare;"

2. In rule 8, in sub-rule (2), for Table, the following shall be substituted, namely:-

"S. No	Area	Fee for permission for development of colony
(a)	Municipal Corporation having population of three lacs or more.	Rupees one lac per hectare
(b)	Municipal Corporation having population of less than three lacs.	Rupees fifty thousands per hectare"
(c)	Municipal Councils	Rupees twenty thousand
(d)	Nagar Panchayats	Rupees ten thousand"

3. In rule 10, in sub-rule (2), in clause (c), for the words "two kilometres", the words "three kilometres" shall be substituted.

4. In rule 11, for clause (vii), the following shall be substituted, namely:-

"(vii) The colonizer must ensure the compliance of the following:

(a) A Resident's Welfare Association must be formed within three months of receipt of the completion certificate or when fifty percent of the dwelling units have been sold, whichever is earlier;

(b) Till such time as a Resident's Welfare Association has been formed, the colonizer shall be responsible for maintenance of the colony;

(c) The colonizer shall ensure that all relevant rules and byelaws relating to all types of waste including but not limited to solid waste, construction and demolition waste, hazardous waste etc, are complied with, and shall be liable for payment of user charges as may be fixed by the municipality from time to time."

5. In rule 11, for clause (viii), the following shall be substituted, namely:-

"(viii) The information of completion of the development work of the colony shall be given by the colonizer to the Competent Authority, on receipt of the information the work completion certificate shall be issued by Competent Authority within a period of fifteen days after inspection of the development works of the colony, if the development works are found to be completed."

6. For rule 14, the following shall be substituted, namely:-

" 14.Effect of non-compliance of rule 11.- If prior to the receipt of permission under rule 11, any colonizer starts the development work of the Colony or sells the plots or prepares to sell the plots then in such circumstances the Competent Authority may cancel the registration of the colonizer and take such legal action as he decides to take under the law, which may include but shall not be restricted to enforcement of mortgage created under clause (i) of rule 11, forfeiture of amounts deposited under clauses (ii) and (iii) of rule 11, and filing of a FIR under Section 420 and/or other relevant Sections of the Indian Penal Code, 1860 (No.45 of 1860):

Provided that the registration shall not be cancelled nor any punitive action taken before the colonizer has been given a reasonable opportunity of presenting his case:

Provided further that the reasons for cancellation of the registration and/or any action under any law shall be recorded in writing."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.